कार्यालयः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार।

कार्यालयाध्यक्षः **श्री एस0एस0 चौहान**
टेलीफोन/मोबाईल नं0 : 01334–239462/9456347272
तल : प्रथम तल
ई–मेल : pddrda_2007@rediffmail.com

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) : पूर्व संचालित योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एन0आर0एल0एम0) शुरू की गयी है, जिसमें पूर्व योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में से महिला स्वयं सहायता समूहों को योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

इन्दिरा आवास योजना : रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देकर आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रूपये एवं मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपये दिया जाता है।

नवीन सरलीकृत ऋण सह–अनुदान आवास योजना : इस योजनान्तर्गत 32 हजार वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को 10 हजार रूपये सरकारी अनुदान एवं 40 हजार रूपये बैंक ऋण के रूप में दिया जाता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना : मा0 संसद सदस्यों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों जैसे–पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सड़क निर्माण आदि के कार्य कराये जाने का प्राविधान है। लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकता है तथा राज्य सभा सदस्य अपने निर्वाचित राज्य के क्षेत्रों के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। लोक सभा एवं राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी एक या अधिक राज्यों में कार्यों की अनुशंसा कर सकते है।

(एस0एस0 चौहान)
परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरिद्वार।